राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः– माननीय मंत्रिगण हेतु आचार संहिता (**Code of conduct**) की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्र एवं राज्यों के मंत्रिगण के लिये जारी आचार संहिता (**Code of conduct**) को राज्य में लागू करने की अपेक्षा की है।

अतः निदेशानुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र व आचार संहिता की प्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबध में माननीय मंत्री जी को उक्त आचार संहिता की पालना किये जाने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

शासन उप सचिव

विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव,
माननीय मंत्रिगण/ राज्य मंत्रिगण एवं संसदीय सचिवगण।

अशा० टीप सं.प. 11(16) मंमं/2008
जयपुर, दिनांकः 21 JAN 2010

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव (सी.एस.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अ.शा. पत्र कमांकः 10/16/2008–M & G दिनांक 17.12.2009 के संदर्भ में निवेदन है कि मंत्रिमण के लिये जारी आचार संहिता को राज्य में लागू करने की राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर दी है।

शासन उप सचिव

Copy of D.O. NO. 10/16/2008-M&G Dated the 17 th December, 2009 From, SHRI NIRMALJEET SINGH KALSI, JOINT SECRETARY, MINISTRY OF HOME AFFAIRS,GOVERNMENT OF INDIA,NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001 To, SHRI T. SRINIVASAN, CHIEF SECRETARY, RAJASTHAN, JAIPUR.

Please refer to my d.o. letter of even number dated 21th August, 2009 informing about the change in the time limit for furnishing the declaration of assets and liabilities by the Ministers in accordance with para 2(a) of the Code of Conduct.

2- In partial modification of the existing provisions of the Code in this regard, it has been decided, with the approval of the prime Minister, to extend the time limit for furnishing the annual declaration of assets and liabilities specified in paragraph 2 of the Code up to 31st August instead of 31st July of every year. The declaration would contain details for the previous financial year.

3- Prime Minister has also approved that the provisions of paragraph 1 of the Code be modified to the extent that the details of assets and liabilities will now be required to be furnished by a Minister immediately after entering office, and in any case within a period of two months from the date of assumption of office. Such a Statement of assets and liabilities could be in respect of the financial year for which the income tax ruturn has already been filed by the Minister. This will apply to Ministers of State Government and Union Territories also.

4- I am enclosing a copy of the revised 'Code of Conduct' with a request to kindly adopt this Code. I shall be grateful if an intimation of having adopted the revised Code of Conduct is sent at an early date.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

....

CODE OF CONDUCT FOR MINISTERS
(Both Union and State)

......

In addition to the observance of the provisions of the Constitution, the Representation of the People Act, 1951, and any other law for the time being in force, a person immediately after entering office as a Minister, and in any case within a period of two months from the date of assumption of office, shall:

a) disclose to the Prime Minister, or the Chief Minister, as the case may be details of the assets and liabilities, and of business interests, of himself and of members of his family. The details to be disclosed shall consist of particulars of all immovable property and the total approximate value of (i) shares and debentures, (ii) cash holdings and (iii) jewellery. Such a Statement of assets and liabilities could be in respect of the financial year for which the income tax return has already been filed by the Minister;

b) sever all connections, short of divesting himself of the ownership, with the conduct and management of any business in which he was interested before his appointment as Minister; and

c) with regard to a business concern which supplies goods or services to the Government concerned or to undertakings of that Government (excepting in the usual course of trade or business and at standard or market rates) or whose business primarily depends on licenses, permits, quotas, leases, etc., received or to be received from the Government concerned, divest himself of all his interests in the said business and also of the management thereof.

Provided, however, that he may transfer in the case of (b) his interest in the management, and in the case of (c) both ownership and management, to any adult member of his family or adult relative, other than his wife (or husband, as the case may be), who was prior to his appointment as Minister associated with the conduct or management or ownership of the said business. The question of divesting himself his interests would not arise in case of holding of share in public limited

companies except where the Prime Minister, or the Chief Minister, as the case may be, considers that the nature or extent of his holding is such that it is likely to embarrass him in the discharge of his official duties.

2. After taking office, and so long as he remains in office, the Minister shall: -

(a) furnish annually by the 31st August to the Prime Minister, or the Chief Minister, as the case may be, a declaration regarding his assets and liabilities for the previous financial year;

(b) refrain from buying from or selling to, the Government any immovable property except where such property is compulsorily acquired by the Government in usual course;

(c) refrain from starting, or joining, any business;

(d) ensure that the members of his family do not start, or participate in, business concerns, engaged in supplying goods or services to that Government (excepting in the usual course of trade or business and at standard or market rates) or dependent primarily on grant of licenses, permits, quotas, leases, etc., from that Government; and

(e) report the matter to the Prime Minister, or the Chief Minister as the case may be, if any member of his family sets up, or joins in the conduct and management of, any other business.

3.1 No Minister should -

(a) personally, or through a member of his family, accept contribution for any purpose, whether political, charitable or otherwise. If any purse or cheque intended for a registered society, or a charitable body, or an institution recognised by a public authority, or a political party is presented to him, he should pass it on as soon as possible to the organisation for which it is intended; and

(b) associate himself with the raising of funds except for the benefit of (i) a registered society, or a charitable body, or an institution recognised by a public authority and (ii) a political party. He should, however, ensure that such contributions are sent to a specified office bearer, etc. of the society or body or institution of party concerned and not to him.

Nothing herein before shall prevent a Minister from being associated with the operation for disbursement of funds raised as above.

3.2 A Minister, including the Union Ministers, the Chief Ministers and other Ministers of State Governments/Union Territories, should not permit their spouse and dependents to accept employment under a Foreign Government, in India or abroad, or in a foreign organisation (including commercial concerns) without prior approval of the Prime Minister. Where the wife or a dependent of a Minister is already in such employment, the matter should be reported to the Prime Minister for decision whether the employment should or should not continue. As a general rule, there should be total prohibition on employment with a Foreign Mission.

4.1 A Minister should -

a) not accept valuable gifts except from close relatives, and he or members of his family should not accept any gifts at all from any person with whom he may have official dealings; and

b) not, nor permit a member of his family, contract debts of a nature likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties.

4.2 A Minister may receive gifts when he goes abroad or from foreign dignitaries in India. Such gifts fall into two categories. The first category will include gifts which are of symbolic nature, like a sword of honour, ceremonial robes etc. and which can be retained by the recipients. The second category of gifts would be those which are not of symbolic nature. If its value is less than Rs.5,000/- it can be retained by the Minister. If, however, there is any doubt about the estimated value of the gift, the matter should be referred to the Toshakhana for valuation. If the value of the gift, on assessment is found to be within the prescribed limit of Rs.5,000/- the gift will be returned to the Minister. If it exceeds Rs.5,000/- the recipient will have the option to purchase it from the Toshakhana by paying the difference between the value as assessed by the Toshakhana and Rs.5,000/-. Only gifts of household goods which are retained by the Toshakhana, such as carpets, paintings, furniture etc. exceeding Rs.5,000/- in value, will be kept in Rashtrapati Bhavan, Prime Minister's House or Raj Bhavan as State property. (Note: The value of the gift refers to its approximate market value in the country of origin).

4.3 In case of grant of an award by any organisation to a Minister/a person holding the Minister's status/rank, the following procedure may be followed :-

a) the credentials of the organisation giving award may be gone into;

b) if the credentials of the body giving the awards are unimpeachable, the award as such may be accepted but the cash part should not be accepted;

c) if the awards relate to the work done by the individual prior to his holding the office of Minister, such awards may be accepted but in all such cases specific approval of the Prime Minister or the Chief Minister as the case may be, should be obtained. The Chief Minister and other Ministers shall have to take permission of the Prime Minister and the Union Home Minister; and

d) those instances, where a Minister is to receive any award by any organisation which has connections with any Foreign Agencies/Organisations, such a Minister/ a person holding the Minister's status/rank, will have to seek prior approval of the Prime Minister of India.

4.4 A Minister should follow the instructions given from time to time by the Prime Minister in matters relating to attending functions arranged by foreign missions in India or abroad, and also for accepting the membership of any foreign trust, institution or organisation other than U.N. Organisations of which India is a Member.

5. A Minister should -

a) while on official tour, as far as practicable stay in accommodation belonging to himself or maintained by Government, Government undertakings, public bodies or institutions (such as circuit houses, dak bungalows etc.) or in recognised hotels; and

b) avoid attending, as far as possible, ostentatious or lavish parties given in his honour.

6. The authority for ensuring the observance of the Code of Conduct will be the Prime Minister in the case of Union Ministers, the Prime Minister and the Union Home Minister in the case of Chief Ministers, and the Chief Minister concerned in the case of State Ministers except where it is otherwise specified. The said

authority would follow such procedure as it might deem fit, according to the facts and circumstances of each case, for dealing with or determining any alleged or suspected breach of this Code.

Explanation: In this code, a Minister's family shall include his wife (or husband, as the case may be) not legally separated from him (or her), minor children, and any other persons related by blood or marriage to, and wholly dependent on the Minister.

>>>>>> oOo <<<<<<

2. पद ग्रहण करने के बाद तथा जितने समय तक वह मंत्री पद पर बने रहते हैं; वहः-

(क) अपनी परिसम्पत्तियों और देयताओं के बारे में एक उद्घोषणा वार्षिक रूप से पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री, जैसा भी मामला हो, को भेजेंगे;

(ख) कोई अचल सम्पत्ति सरकार से नहीं खरीदेंगे और न ही बेचेंगे सिवाए इसके जब ऐसी सम्पत्ति को सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से अर्जित की जाती है;

(ग) कोई व्यापार आरंभ नहीं करेंगे अथवा इसमें शामिल नहीं होंगे;

(घ) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार के सदस्य उस सरकार को सामान की आपूर्ति करने अथवा सेवाएं प्रदान करने के काम में लगी हुईं व्यापार संस्थाओं को आरंभ नहीं कर रहे हैं अथवा उनमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं (व्यवसाय अथवा व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में और मानक अथवा बाजार दरों पर, को छोड़कर) अथवा उस सरकार से अनुज्ञप्तियों, परमिटों, कोटा, पट्टे आदि प्रदान किए जाने पर मुख्यतः निर्भर नहीं है।

(ङ) यदि उनके परिवार का कोई सदस्य कोई अन्य कारोबार शुरू करता है अथवा उसके संचालन अथवा प्रबंधन में शामिल होता है तो इस मामले की सूचना प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री जैसा भी मामला हो, को देगा।

3.1 किसी भी मंत्री को-

(क) व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से राजनैतिक, धर्मार्थ अथवा अन्यथा किसी प्रयोजनार्थ अंशदान स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि किसी पंजीकृत सोसायटी अथवा किसी धर्मार्थ निकाय, अथवा किसी लोक प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था, अथवा किसी राजनैतिक दल के लिए अभिप्रेत कोई पर्स अथवा चैक उन्हें भेंट किया जाता है, तो इसे यथासंभव शीघ्र की उस संगठन को अन्तरित किया जाना चाहिए जिसके लिए यह अभिप्रेत है; और

(ख) स्वयं को (i) किसी पंजीकृत सोसायटी, अथवा किसी धर्मार्थ निकाय, अथवा किसी लोक प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था तथा (ii) किसी राजनीतिक दल के लाभ के निहितार्थ छोड़कर निधियां (फंड) इकत्र करने में शामिल नहीं होना चाहिए। तथापि, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अंशदान उनके बजाय संबंधित सोसायटी, अथवा निकाय अथवा संस्था अथवा दल के किसी विशिष्ट पदाधिकारी को भेजे जाते हैं। इसके पहले उपर्युक्तानुसार एकत्र की गई निधियों के वितरण संबंधी कार्य के साथ जुड़े रहने से मंत्री को कोई तनिक भी नहीं रोकेगा।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

मंत्रियों के लिए आचार संहिता

(केन्द्र एवं राज्य दोनों)

*****

संविधान के उपबंधों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुपालन के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति मंत्री का प्रद ग्रहण करने के तत्काल बाद तथा किसी भी सूरत में पद ग्रहण करने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर :

क) प्रधानमंत्री, अथवा मुख्यमंत्री, जैसा भी मामला हो, को अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की परिसंपत्तियों एवं देयताओं और व्यापारिक हितों के ब्यौरे की जानकारी देगा। दी जाने वाली जानकारी के ब्यौरे में सभी अचल सम्पत्ति के ब्यौरे तथा (i) शेयरों और डिबेंचरों (ii) पास नकद एवं (iii) आभूषणों की कुल अनुमानित कीमत शामिल होगी। परिसंपत्तियों एवं देयताओं का ऐसा विवरण उस वित वर्ष के संबंध में हो सकता है जिसके संबंध में मंत्री द्वारा आयकर विवरणी पहले ही प्रस्तुत कर दी गई हो;

ख) ऐसे किसी व्यापार, जिसमें मंत्री के रूप में नियुक्ति से पूर्व उसके हित थे, के स्वामित्व के अधिकार से स्वयं को वंचित करने के अतिरिक्त सभी संबंध समाप्त करेगा और इसका संचालन एवं प्रबंधन नहीं करेगा; और

ग) ऐसी व्यापारिक संस्था के संबंध में, जो संबंधित सरकार अथवा उस सरकार के उपक्रमों को सामान की आपूर्ति करती है अथवा सेवाएं मुहैया कराती है (व्यवसाय अथवा व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में और मानक अथवा बाजार दरों पर, को छोड़कर) अथवा जिसका व्यापार मुख्यतः संबंधित सरकार से प्राप्त की गई अथवा की जाने वाली अनुज्ञप्तियों, परमिटों, कोटा, पट्टे आदि पर निर्भर करता है, स्वयं को उक्त व्यापार में अपने सभी हितों और इसके प्रबंधन के अधिकार से भी वंचित करेगा।

<u>परन्तु</u>, फिर भी वह (ख) के मामले में प्रबंधन में अपने हित तथा (ग) के मामले में स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही, अपनी पत्नी (अथवा पति, जैसा भी मामला हो) के अलावा अपने परिवार के किसी ऐसे वयस्क सदस्य अथवा वयस्क रिश्तेदार को अन्तरित कर सकता है, जो मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व उक्त व्यापार के संचालन अथवा प्रबंधन अथवा स्वामित्व के साथ जुड़ा रहा हो। पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में शेयर धारण के मामले में अपने हितों से स्वयं को वंचित करने का प्रश्न ही नहीं उठता केवल इस बात को छोड़कर कि जहां प्रधानमंत्री, अथवा मुख्यमंत्री जैसा भी मामला हो, ऐसा मानते हैं कि उनके शेयर धारण का स्वरूप अथवा परिणाम ऐसा है जिससे सरकारी ड्यूटियों के निर्वहन में उन्हें परेशानी हो सकती है।

(घ) उन मामलों में, जिनमें किसी मंत्री को ऐसे संगठन से कोई पुरस्कार प्राप्त करना है, जिसके संबंध किसी विदेशी एजेंसी/संगठन से हैं तो ऐसे मंत्री/मंत्री का दर्जा/रैंक धारण करने वाले व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

4.4 किसी मंत्री को विदेशी मिशनों द्वारा भारत में या विदेश में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने संबंधी मामलों, तथा किसी विदेशी ट्रस्ट, संस्था या संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठनों को छोड़कर, भारत जिसका सदस्य है, की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों का पालन करना चाहिए।

5. किसी मंत्री को चाहिए कि -

(क) सरकारी दौरे के दौरान, जहां तक व्यवहार्य हो, स्वयं से संबंधित आवास या सरकार, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक निकायों या संस्थाओं द्वारा रख-रखाव वाले आवासों (जैसे सर्किट हाउस, डाक बंगलों आदि) या मान्यता प्राप्त होटलों में ही रूकें ; और

(ख) जहां तक संभव हो, उसके सम्मान में दिए गए खर्चीले एवं आडंबर पूर्ण प्रीतिभोज में न जाए।

6. जहां ऐसा अन्यथा विनिर्दिष्ट हो, को छोड़कर आचार संहिता की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री और राज्य के मंत्रियों के मामले में संबंधित मुख्यमंत्री प्राधिकारी होंगे। उक्त प्राधिकारी इस संहिता की कोई कथित या संदिग्ध अवमानना से निपटने के लिए या निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझी जाने वाली प्रक्रिया का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण: इस संहिता में, किसी मंत्री के परिवार में उसकी पत्नी (या पति, मामले के अनुसार) जो कानूनी रूप से अलग न हुआ/हुई हो, नाबालिग बच्चे, और कोई भी व्यक्ति जो मंत्री से खून के रिश्ते या शादी द्वारा जुड़ा हो, तथा पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो, शामिल होंगे।

3.2 किसी मंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के अन्य मंत्रियों सहित, को अपने पति/पत्नी और आश्रितों को विदेशी सरकार, भारत में या विदेश में, या किसी विदेशी संगठन (वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित) में प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति के बिना रोजगार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि मंत्री की पत्नी या आश्रित पहले से ही ऐसे रोजगार में हैं तो उस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री को इस निर्णय के लिए दी जानी चाहिए कि क्या इस रोजगार को जारी रखा जाना चाहिए या नहीं। सामान्य नियम के अनुसार, विदेशी मिशन में रोजगार पर पूर्ण रोक होनी चाहिए।

4.1 किसी मंत्री को चाहिए कि -

(क) नजदीकी रिश्तेदारों को छोड़कर किसी से कीमती उपहार ग्रहण न करे, और उसे या उसके परिवार के सदस्य को ऐसे किसी व्यक्ति से उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसके साथ उसका सरकारी लेन-देन हो, और

(ख) न ही उसके परिवार के सदस्य को ऐसे संविदा ऋण की अनुमति हो जिससे उसके कर्तव्यों को वहन करने में बाधा हो या प्रभाव पड़े।

4.2 कोई मंत्री, जब वह विदेश में जाता है या भारत में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से, उपहार प्राप्त कर सकता है। ऐसे उपहारों की दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में प्रतीकात्मक प्रकृति के उपहार जैसे सम्मान कृपाण, समारोह संबंधी परिधान आदि शामिल हैं जो प्राप्तकर्ता द्वारा अपने पास रखे जा सकते हैं। दूसरी श्रेणी में वे उपहार होंगे जो प्रतीकात्मक प्रकृति के नहीं हैं। यदि इसका मूल्य 5000/-रुपये से कम है तो यह मंत्री द्वारा रखा जा सकता है। हालांकि यदि उपहार के अनुमानित मूल्य के बारे में कोई संदेह है तो मामला मूल्यांकन के लिए तोशाखाना को भेजा जाना चाहिए। यदि उपहार का मूल्य, मूल्यांकन करने पर 5000/-रुपये की निर्धारित सीमा के अन्दर पाया जाता है तो उपहार मंत्री को लौटा दिया जाएगा। यदि इसका मूल्य 5000/-रुपए से अधिक है तो प्राप्तकर्ता के पास तोशाखाना द्वारा निर्धारित मूल्य और 5000/-रुपये के अन्तर की राशि का भुगतान करके तोशाखाना से उपहार खरीदने का विकल्प रहेगा। तोशाखाना द्वारा रखे गए केवल घरेलू वस्तुओं के उपहार जैसे गलीचे, पेंटिंग, फर्नीचर आदि जो 5000/-रुपए से अधिक मूल्य के हैं, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास या राजभवन में राज्य सम्पति के रूप में रखे जाएंगे। (नोटः उपहार के मूल्य से अभिप्राय, मूल देश में इसके अनुमानित बाजार मूल्य से है।)

4.3 किसी संगठन द्वारा मंत्री/मंत्री का दर्जा/रैंक धारण करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए-

(क) पुरस्कार देने वाले संगठन के प्रत्ययपत्रों की जांच की जाए;

(ख) यदि पुरस्कार देने वाले निकाय के प्रत्ययपत्र अनभियोज्य हैं, तो पुरस्कार स्वीकार किया जा सकता है लेकिन नकद स्वीकार नहीं की जानी चाहिए;

(ग) यदि पुरस्कार व्यक्ति द्वारा मंत्री का पद धारण करने से पहले किए गए कार्य से संबंधित है तो ऐसे पुरस्कार ग्रहण किए जा सकते हैं लेकिन ऐसे सभी मामलों में, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जैसा भी मामला हो, की विशिष्ट अनुमति ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को, प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री की अनुमति लेनी होगी ; और